

प्ररूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)



मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र]

की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली

के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए काय सुदी (२५) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं -

अभ्यर्थी का नाम चण्डू लकाश

पिता/माता/पति का नाम श्री हरदेव

उसका डाक पता अशोक नगर इटावा काय (२५)

उसका नाम काय संसदीय क्षेत्र विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ९३ में क्रम संख्यांक ६९ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
		निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पीपल्स	93	30	राजेश	राजेश	9/4/19
2.	---	93	85	गुलाब चण्डू	गुलाब	---
3.	---	93	70	अक्षय	अक्षय	---
4.	---	93	107	अनुराग	अनुराग	---
5.	---	93	116	चक्र	चक्र	---
6.	---	93	103	अशोक	अशोक	---
7.	---	93	141	बाबूसाहू	बाबूसाहू	---
8.	---	93	146	मोद पाल	मोद पाल	---
9.	---	93	49	भूपेंद्र कुमार	Bhupendra	---
10.	---	93	77	सुदेश कुमार	सुदेश कुमार	---

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे (ग) (i) या (ग) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में R.K.S.P. दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ग) (ii) मुझे इस निर्वाचन में R.K.S.P. दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में :- (i) Road Kollar (ii) Heli copter (iii) Cup plate हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर R.K.S.P. (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं R.K.S.P. (SC) ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो R.K.S.P. राज्य के उस राज्य के विचारलगाविल्ल (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 9/4/09

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग-3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हां/नहीं

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक MIC
- (ii) पुलिस थाना (थाने) MIC जिला (जिले) MU राज्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था MIC
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) MIC
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था MU
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें MIC
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) MIC
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं ✓
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां और तारीखें MIC
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे MU
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) MU
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, धारित पद के ब्यौरे
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, ब्यौरे दीजिए
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख

(4)

- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेर रखता है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेर नहीं रखती है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? (हां/नहीं) ✓
- यदि हां, निहर्न की तारीख

स्थान :

तारीख : 9/4/19

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

भाग-4

(रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 16

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 09/4/19 (तारीख) को 12:18 PM (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक चन्द्र प्रकाश (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

AR0

रिटनिंग ऑफिसर

तारीख 09/4/19

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग ऑफिसर का विनिश्चय।

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

रिटनिंग ऑफिसर

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

RECEIPT रसीद

Book No.

पुस्तक संख्या

0052604

Receipt No.

रसीद संख्या

No. 0000014

Date दिनांक

8/4/19

Receipt from

with letter No.

dated

the sum of Rupees

the cash/by cheque on account of

in payment of

श्री नन्द प्रसाद बेशवा 5/0 ली एस्टेट बेशवा

रस संख्या

रि० इटावा

दिनांक

24. पीपलडा

के द्वारा

रसद

लोक सभा आम चुनाव 2019

नामांकन प्रतिशुद्धि

अथवा

₹ 12500 =

रुपये बारह हजार

पाचसौ मात्र

Signature: (Signature)
 (मुनाव) कले कोटा

